

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-309/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

174

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय ।

पटना, दिनांक :-

20.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी
2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में
चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना
अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से
उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	बेगूसराय	02	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	200000/-	जिला पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक-327, दिनांक-10.3.17 के आलोक में (1) स्व० शंभू दास, आश्रित सोनिया देवी, ग्राम-राजोपुर, थाना-ओ०पी० छौड़ाही जिला-बेगूसराय (2) स्व० सुजीत कुमार राम, आश्रित गुड़िया देवी, ग्राम-कुसमहौत, थाना-निमाचौदपुरा जिला-बेगूसराय के भुगतान हेतु।
कुल योग		02		200000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,00,000/- (₹ दो लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

20/03/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

174

पटना, दिनांक

20-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20/03/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट

ज्ञापांक- 6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

174

पटना, दिनांक

20-3-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त,/

*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा पदाधिकारी-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-82 (श्रम पक्ष) दिनांक-17.03.17 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

20/03/17
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-309/2016/श्र०सं०-

174

पटना, दिनांक

20-3-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।